



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्ये,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी निग्गो उर्फ शबनम पुत्री स्व० बशीर पत्नी स्व० कासिम उर्फ नाटे, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु०) कारागार के पत्र संख्या-43383/प्रोबे०-5-दया० बैठक-11.11.2025, दिनांक 24.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी निग्गो उर्फ शबनम पुत्री स्व० बशीर पत्नी स्व० कासिम उर्फ नाटे, भिन्दिउरा, थाना-हण्डिया, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। दिनांक 09/10.04.2014 को रात्रि में पैसे के लेन में उपजे विवाद में अपनी माता के साथ मिलकर अपने पति कासिम उर्फ नाटे के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसकी दिनांक 13.04.2014 को उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 1155/2014 में भा०द०वि० की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 13.02.2023 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.06.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 01 दिन तथा 10 वर्ष, 02 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.06.2024 तक महिला बन्दी की 31 वर्ष, 03 माह की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 11.06.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष 10 माह 01 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 02 माह 01 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने से समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी निग्गो उर्फ शबनम (बन्दी संख्या-66/23) पुत्री स्व० बशीर पत्नी स्व० कासिम उर्फ नाटे, निवासी जनपद-प्रयागराज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव

संख्या-812/2026/2307(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव